## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला-सूरजपुर (छ०ग०)

मनांवः / 4884 / भागाता / अनुभति / 2024. यूरवापुर, विनांगः . 9 7 2024

वच्चों को विष्णुल्य और अनिवार्थ शिक्षा कानून के नियम 11 के चप-नियम (4) के राहत् विद्यालय के लिए

आपका आवेदन पन्न दिनांक 22/05/2024 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के विला-स्राविद्यालय किया निर्धाण उपरान्त अधिवर्रा इन्टरनेशनल स्कूल प्रतापपुर, विकासखण्ड प्रतापपुर जिला-स्राविद्य (उ.म.) को कहा नरिरी से वर्धी तक के लिए एक वर्ष की अविध के लिए जो 16.06.2024 से 31.05.2025 तक प्रभावशील रहेगा, (सशती) अस्थाई भान्यता/अनुगति/ नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त रचीकृति निग्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- 1. मान्यता की रवीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा वाद की मान्यता से संबंधित
- 2. बच्चों को निःशुल्फ और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर) और वच्चों को निःशुल्फ और अनिवार्य शिक्षा का अधिकारकानून 2009 विद्यालयं के लिए वन्धनकारी रहेगा।
- 3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा 1ली की दर्ज संख्या तक प्रवेश देगा और प्रारंगिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंगिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
- परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12 (2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने लिए विद्यालय पृथक वैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
- 5. सोसायटी / विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुंल्क नहीं लेगा और न ही वच्चे का या उसके माता पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
- 6. विद्यालय आयु प्रमाण-पत्र के अभाव में साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी यच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
- 7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :--
  - (i) प्रवेशित किसी भी वच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोक नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।
  - (ii) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताइना नहीं दी जायेगी।
  - (iii) किसी भी वच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
  - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक वच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (v) कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश।
  - (vi) शिक्षक कानून के खण्ड 23 (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम सिहत नियुवित किए जाते है। 5 वर्ष की समयाविध के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेंगे।
  - (vii) शिक्षकों कोददेय वेतन और भत्ते, उनकी सेवा नियम व शर्ते कानून के खण्ड 23 (3) के उदेदश्य के लिये नियम 18 के उप नियम (1) के तहत् राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशसित होगी।
- (vili) शिक्षक कानून के खण्ड 24 (1) के तहत् विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते हैं और शिक्षक रवयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेंगे।

2517124



8. विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाव्यचर्या के आधार पर पाव्यक्रम लागू करेगा।

9. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक छाड़ों को प्रवेश देगा।

10. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में गाएर भैर मान्यता प्राप्त कथाएं नहीं

11. विद्यालय भवन या अन्य निर्भाण या भैवान का का विन या रात में व्यवसायिक या आवासीय उत्देश्यों (विधालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनीतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।

12. विचालय सोसायटी रिजरट्रेशन एवट 1000 (1860 का 21) के तस्त् पंजीवत्त सोसायटी द्वारा या

किसी कानून के तहत् समयविष के लिए गिरत पिल्विक द्रेस्ट दास संचालित है।

13. विद्यालय का संचालन किसी स्थवित संगूए या स्थवितयों के संगूए या अन्य व्यवितयों के लाग के

14. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रो प्रगाणित कराया जाना चाहिए . और नियभानुसार एकाउन्ट रटेटभेन्ट तैयार किया जाना चाहिए। एकाउन्ट रटेटभेन्ट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चािए।

15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड नम्बर 182 छै। इस कार्यालय के साथ किसी भी

16. विधालय समय-तमय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तों की सतत् पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में किंगयों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों

17. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण आवश्यकतानुसार को सुनिश्चित किया जाए।

18. अन्य शर्तो एनेक्सर के अनुसार संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी 👓 🖰 सूरजपुर

क्रमांक / 4885 / मान्यता. / 2024 प्रतिलिपि:-

सूरजपुर, दिनाँक 🙎 🖊 2024

1. संयुक्त संचालक, सरगुजा संभाग अम्विकापुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेपित।

2. सहा० विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अ